भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3594

दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: भ्रूण प्रत्यारोपण

3594. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत भर में विशेषकर झालावाड़ और बारां जिले में कृत्रिम गर्भाधन प्रक्रिया का राज्य-वार कवरेज कितना है;

(ख) क्या सरकार लैंगिक आधार पर चयनित वीर्य के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना बना रही है;

(ग) वर्तमान में कितने जिलों में लैंगिक आधार पर चयनित वीर्य के उपयोग की सुविधा है;

(घ) क्या सरकार का वर्ष 2025 तक कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग/कवरेज को शत-प्रतिशत तक करने का और भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंधित लक्ष्य की रूपरेखा क्या है तथा लैंगिक आधार पर चयनित वीर्य का आज तक राज्य-वार कितनी बार में उपयोग किया गया है तथा वर्तमान में चल रही प्रयोगशालाओं की सूची क्या है एवं आज तक कितने भ्रूण प्रत्यारोपित किए गए हैं;

(च) वर्तमान में मत्स्यपालन उत्पादन कितना है और वर्ष 2020-21 के लिए इसमें कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(छ) क्या सरकार को हिंद महासागर में अत्यधिक मात्रा में शार्क मछली पकडे जाने के समाचार की जानकारी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ना रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) समग्र भारत में कृत्रिम गर्भाधान (एआई) की मौजूदा कवरेज लगभग 30% है। वर्ष 2018-19 के दौरान कृत्रिम गर्भाधान की राज्य-वार कवरेज अनुबंध-I में दी गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान झालावाड़ और बारां जिले में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज क्रमश: 9% और 6% थी।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार लैंगिक आधार पर चयनित वीर्य (सेक्स सोर्टेड सीमेन) के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। जैसाकि राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) योजना के तहत परिकल्पित है लैंगिक आधार पर चयनित वीर्य की सुविधा की स्थापना देश में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखण्ड, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हिमाचल में 12-ए ग्रेडड वीर्य केंद्रों पर करने को अनुमोदित किया गया है।

(घ) और (ड.) जी, हां। देश में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के लिए सरकार ने 600 जिलों में प्रत्येक जिले में 50% से कम एआई कवरेज वाले 100 गांव और प्रत्येक गांव में 200 गोजातीय (बोवाइन) पशुओं को कवर करने हेतु राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी) शुरू किया है। कार्यक्रम के दौरान 1.20 करोड़ पशुओं को कवर करने का प्रस्ताव है। 5.12.2019 की स्थिति के अनुसार 4.73 लाख पशु कवर किए गए हैं। एआई कवरेज को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 70% करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा भविष्य की रूप रेखा तैयार की गई है और अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया हैं।

12 लैंगिक आधार पर चयनित वीर्य सुविधाओं के लिए परियोजना के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 2.4 मिलियन खुराकें तैयार करना हैं। स्थापित की गई लैंगिक आधार पर चयनित वीर्य सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है। अभी तक 6 लाख खुराकों/प्रति वर्ष का उत्पादन करने के लिए सुविधा को कार्यात्मक बनाया गया है। आज की तारीख तक 3 लाख खुराकें तैयार की गई हैं।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) के तहत 30 भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी (ईटीटी)/इन विट्रो निषेचन (आईवीएफ) प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए स्वीकृति दी गई है और राज्यों को निधियां पहले ही जारी कर दी गईं हैं। इस समय कार्य कर रही प्रयोगशालाओं की सूची अनुबंध-III में दी गई है। यह परिकल्पना की गई है कि देश में सांडों की कमी को पूरा करने हेतु देशी नस्ल के उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले 3000 सांडों का उत्पादन किया जाएगा।

(च) मात्स्यिकी का मौजूदा उत्पादन 13.42 एमएमटी है और वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित लक्ष्य 15.90 एमएमटी है।

(छ) और (ज) हिन्द महासागर में अत्यधिक मात्रा में शार्क मछली पकड़े जाने के बारे में मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

अनुबंध - I

2018-19 में राज्यवार कृत्रिम गर्भाधान कवरेज

क्र.सं.	राज्य	प्रजनन योग्य आबादी *	ए.आई. के लिए उपलब्ध पशु	2018-19 में किया गया कृत्रिम गर्भाधान (लाख में)	एआई कवरेज ** %
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	54.56	38.19	45.74	40
2	अरुणाचल प्रदेश	1.39	0.97	0.01	0
3	असम	36.19	25.33	4.35	6
4	बिहार	95.54	66.88	31.45	16
5	छत्तीसगढ़	36.35	25.45	7.15	9
6	गोवा	0.40	0.28	0.32	38
7	गुजरात	95.99	67.19	83.25	41
8	हरियाणा	37.05	25.94	42.39	54
9	हिमाचल प्रदेश	13.64	9.55	10.23	36
10	जम्मू और कश्मीर	16.35	11.45	13.62	40
11	झारखंड	29.58	20.71	6.33	10
12	कर्नाटक	63.70	44.59	67.81	51
13	केरल	6.64	4.65	13.78	99
14	मध्य प्रदेश	109.90	76.93	32.12	14
15	महाराष्ट्र	86.75	60.73	48.38	27
16	मणिपुर	1.14	0.80	0.16	7
17	मेघालय	3.35	2.35	0.24	3
18	मिजोरम	0.17	0.12	0.06	17
19	नागालैंड	0.94	0.66	0.28	14
20	ओडिशा	36.42	25.49	14.40	19
21	पंजाब	40.70	28.49	44.12	52
22	राजस्थान	132.75	92.93	44.07	16
23	सिक्किम	0.60	0.42	0.18	15
24	तमिलनाडु	47.80	33.46	71.72	71
25	तेलंगाना	35.74	25.02	17.74	24
26	त्रिपुरा	3.37	2.36	2.31	33
27	उत्तर प्रदेश	240.11	168.08	137.60	27
28	उत्तराखंड	13.78	9.65	6.93	24
29	पश्चिम बंगाल	64.21	44.95	40.74	30
	कुल	**1305.46**	**913.82**	**787.48**	**29**

पूर्वानुमान:

* 2012 की पशुधन संगणना के अनुसार

* गर्भाधारण दर 33% मानी जाती है अर्थात् प्रति गर्भाधारण 3 एआई

अनुबंध -II

अनुमोदित सेक्स आधारित वीर्य सुविधा की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1	गुजरात	पाटन
2	हरियाणा	हिसार
3	कर्नाटक	हैसरघाटा
4	केरल	धोनी
5	मध्य प्रदेश	भदबादा, भोपाल
6	महाराष्ट्र (2)	1. बीएआईएफ' पुणे
		2. औरंगाबाद
7	तमिलनाडु	डीएलएफ, होसुर
8	तेलंगाना	करीम नगर
9	उत्तर प्रदेश	बाबूगढ़
10	उत्तराखण्ड	ऋषिकेश
11	पंजाब	नाभा, पटियाला
12	हिमाचल प्रदेश	पालमपुर

अनुबंध-III

भ्रूण अन्तरण / इन-विट्रो निषेचन प्रयोगशालाओं की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	ईटीटी केंद्र	राज्य	उत्पादित/अन्तरित भ्रूणों की संख्या
1	ईटीटी केंद्र, कलसी	उत्तराखंड	295
2	एसएजी, बिदाज	गुजरात	286
3	केएलडीबी, मट्टुपट्टी	केरल	61
4	लैम फार्म, एपी गुंटूर	आंध्र प्रदेश	67
5	बीएआईएफ, उरलिकांचन	महाराष्ट्र	50
6	गदवासु, लुधियाना	पंजाब	44
7	ईटीटी सेंटर, भोपाल	मध्य प्रदेश	358
8	ईटीटी सेंटर, निबलेट यूपी	उत्तर प्रदेश	158
9	पीएलडीबी ईटीटी केंद्र, पटियाला	पंजाब	163
10	ईटीटी सेंटर पालमपुर	हिमाचल प्रदेश	11
11	ईटीटी सेंटर, होसुर	तमिलनाडु	30
12	ईटीटी, शिरपुर, पुणे	महाराष्ट्र	425
13	नागपुर एमएएफएसयू	महाराष्ट्र	21
14	एनकेबीसी	आंध्र प्रदेश	स्थापना के अंतर्गत
15	अंजोरा दुर्ग	छत्तीसगढ़	
16	मोतिहारी	बिहार	
17	पटना		
18	एनकेबीसी	मध्य प्रदेश	
19	नमाक्कल	तमिलनाडु	
20	बरेली	उत्तर प्रदेश	
21	हैदराबाद	तेलंगाना	
22	हरिनघाटा	पश्चिम बंगाल	
23	हिसार	हरियाणा	
24-30	केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ) -7 सं. में		